कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

:: विज्ञापन ::

1748
क्र0 / ..... / बाविपरि / स्था. / नियुक्ति / 2026–27 बलौदा, दिनांक 26 / 11 / 2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिरगहनी च 71 के लिए आगनबाडी सहायिका के पद रिक्त होने के कारण नियुक्ति करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है । इस हेतु दिनांक 30.11.2026 **से** 14.12.2026 तक ऑनलाईन लिंक **https://aww.e-bharti.in** में जाकर अनिवार्य दस्तावेजों की फाइल डाउनलोड करते हुए आवेदन कर सकतें है। नियत समय के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही आवेदन के समय अनिवार्य दस्तावेजों की फाइल डाउनलोड न करने की स्थिति में आवेदन स्वीकृत नही किये जायेगें।

क्र.	केन्द्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पद का नाम	रिक्त पद की संख्या
1	बिरगहनी च 71	बिरगहनी च	आंगनबाडी सहायिका	1

आवेदन किये जाने हेत निम्नानुसार अर्हताएं है :–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं को आयु सीमा में 3 वर्ष की छुट दी जावेगी)
2. आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है ।
3. जिस ग्राम में आंगनबाडी केन्द्र खोला जाना है या प्रस्तावित है या जहॉ पद रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए । आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्न लिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा :–

(क) उस ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे ।

(ख) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र जिसमें ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो ।

टीपः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास सबंधी प्रमाण–पत्र ही मान्य किया जावेगा ।

4. आवेदिका की न्युनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए ।

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वी बोर्ड उत्तीर्ण

टीपः– उपरोक्तानुसार ग्रामीण / आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर विचार किया जावेगा।

5. अनुभवी कार्यकर्ता / सहायिका / सहसहायिका होने पर गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जायेगें।
6. अनुसूचित जाति / जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8वीं तक अध्ययन करने वाली आवेदिका को पृथक से अंक की पात्रता होगी।

7. अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर पृथक से अंक की पात्रता होगी। अस्थाई जाति प्रमाण पत्र होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त न हुई हो ।
8. आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन में विधवा, परित्यक्ता, एवं तलाकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक का प्रावधान है। इस हेतु विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण :– (क) परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा –

01. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत किया जावें।

अथवा

02. न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्याायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार के आर्थिक सहायता /पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उस का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) परित्यकता महिला के संबंध में 2 वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।

9. गरीबी रेखा के संबंध में (प्रभावशील गरीबी रेखा सूंची में) गरीबी रेखा के अद्यतन सूची में नाम दर्ज हो तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाये। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदाय किया जावेगा।
10. सहायिका पद हेतु आठवी का अंकसूची ग्रेड युक्त होने की स्थिति में संबंधित आवेदिका जहाँ से 8वीं उत्तीर्ण की है उस संस्था से समस्त विषयों का अंकदर्शित अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विषयवार अंकदर्शित अंकसूची प्रस्तुत नही करने पर न्यूनतम अंक देकर मूल्यांकन किया जावेगा।
11. आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु यदि 2 आवेदिकाओं के अंक एक समान आ जाते है तो निम्नानुसार प्राथमिकता दी जावेगी।

प्रथम प्राथमिकता	विधवा /परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा + अनुसूचित जाति /जनजाति + गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार
द्वितीय प्राथमिकता	विधवा /परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा + गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार
तृतीय प्राथमिकता	विधवा /परित्यकता अथवा तलाकशुदा + गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार
चतुर्थ प्राथमिकता	अन्य जातियों की विधवा /परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला
पंचम प्राथमिकता	अनुसूचित जाति/ जनजाति + गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार
षष्ठम प्राथमिकता	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार
सप्तम प्राथमिकता	अनुसूचित जाति /जनजाति
टीप :– 1. यदि विधवा एवं परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा दोनो ही श्रेणी की महिला एक साथ आता है तो निर्विवाद रूप से विधवा को प्राथमिकता दी जावेगी। 2. यदि अनुसूचित जाति /जनजाति के आवेदिकाओं के अंक समान हो तो यदि संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है तो अनुसूचित जाति की आवेदिका का तथा यदि संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है तो अनुसूचित जनजाति की आवेदिका का चयन किा जावेगा।	

टीप :– उपरोक्तानुसार भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु की आवेदिका को अवसर दिया जावेगा।

12. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज अभि प्रमाणित होना चाहिये।
13. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 8वीं एवं 5वीं की अंकसूची संलग्न करें।
14. यदि किसी आवेदन के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
15. चयन के किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र /दस्तावेज/ अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदिका की होगी।
16. निर्धारित अंतिम तिथि 16/12/26 के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।

उपरोक्तनुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मान सेवी तथा अशासकीय पद है । इन्हे केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा ।

17. दावा आपत्ति के समय नवीन दस्तावेज स्वीकार नही किये जायेगें। संलग्न दस्तावेज के आधार पर ही दावा आपत्ति मान्य किये जायेगें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बलौदा, जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पृ0क्र0/ 1749 /.....बाविपरि /स्था./नियुक्ति/ 2026–27 बलौदा, दिनांक 26/11/2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–जांजगीर चाम्पा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा) अकलतरा सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदा जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित । कृपया ज्ञापन को सूचना पटल में चस्पा करवाने का कष्ट करें।
5. पर्यवेक्षक सेक्टर कुलीपोटा की ओर सूचनार्थ । आप उक्त रिक्त केन्द्रों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्राम पंचायत को सूचित करते हुए उनके सूचना पटल में चस्पा करवायें तथा सरपंच /सचिव /कोटवार के माध्यम से मुनादी करवाये यह समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रमाणित जानकारी इस कार्यालय में 02 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ।
6. सरपंच /सचिव/ कोटवार ग्राम पंचायत लछनपुर बलौदा जिला–जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया ज्ञापन को सूचना पटल में चस्पा करवाने का कष्ट करें एवं संबंधित ग्राम पंचायत में मुनादी के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
7. नियुक्ति शाखा प्रभारी /लिपिक आंबा. केंद्र का मुनादी प्रमाण पत्र एवं पावतियाँ संकलित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ ।
8. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला जांजगीर चाम्पा को लेख है कि कृपया उक्त विज्ञापन का प्रकाशन सभी दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करेगें ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बलौदा, जांजगीर–चांपा (छ.ग.)